<u>जनपद न्यायालय, सुलतानपुर।</u>

<u>(नजारत अनुभाग)</u>

<u>नीलामी की सूचना</u>

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए निर्धारित शर्तों के अधीन जनपद न्यायालय सुलतानपुर स्थित दुकानों की नीलामी दिनांक 28.04.2022 को अपरान्ह 4:30 बजे V.C. कक्ष न्यायालय परिसर सुलतानपुर में किराये पर नीलामी होने वाली दुकान की न्यूनतम् बोली एवं धरोहर बोली की सूची निम्न प्रकार है:-

<u>वित्तीय वर्ष 2022-2023 में नीलामी होने वाली प्रस्तावित दुकानें एक वर्ष के लिए धरोहर राशि एवं न्यूनतम बोली राशि का विवरण</u>

क्र0सं0	स्थल का नाम	प्रयोजन	धरोहर राशि	प्रस्तावित न्यूनतम बोली
1.	कैन्टीन, 12 कक्षीय भवन के सामने- **दुकान सं0- 2**	जलपान व खानपान	5,000/- रुपये	90,000/- रुपये
2.	कैन्टीन, 12 कक्षीय भवन के सामने- **दुकान सं0- 3**	जलपान व खानपान	5,000/- रुपये	90,000/- रुपये

उपरोक्त में अंकित धरोहर नगद धनराशि इस जनपद न्यायालय के केन्द्रीय नजारत में नीलामी की नियत तिथि दिनांक 28.04.2022 से पूर्व दिनांक 26.04.2022 तक अपरान्ह 05.00 बजे तक जमा कर उससे सम्बन्धित प्राप्ति रसीद प्राप्त की जा सकेगी। प्रतिभूति की धनराशि जमा न करने की स्थिति में तात्कालिक नीलामी की बोली लगाने हेतु अहर्य नहीं होगा।

उपरोक्त दुकानों की नीलामी से सम्बन्धित अन्तिम बोली जिस प्रतिभागी के पक्ष में छूटेगी उस पर नियमानुसार कर की धनराशि अलग से जमा करना अनिवार्य होगा तथा अन्तिम बोली की धनराशि का 25 प्रतिशत तुरन्त नीलामी स्थल पर जमा करना होगा तथा अन्तिम बोली का अवशेष 75 प्रतिशत की धनराशि दिनांक 31.12.2022 तक तीन किश्तों में तिमाही जमा करना होगा।

उपरोक्त से सम्बन्धित जमा की जाने वाली 25 प्रतिशत धनराशि नगद जमा की जायेगी, उससे सम्बन्धित किसी प्रकार की चेक/ड्राफ्ट एवं बिल आदि ग्रहण नहीं किया जायेगा। अवशेष नगद, चेक अथवा ड्राफ्ट के जरिए जमा किया जा सकेगा।

उपरोक्त नीलामी की तिथि से किसी प्रकार का परिवर्तन/वृद्धि किये जाने अथवा स्वीकृति/अस्वीकृति का अधिकार तथा किसी प्रकार के विवाद के लिए अन्तिम निर्णय लिये जाने का अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश, सुलतानपुर के अधीन सुरक्षित होगा, जो सभी को मान्य होगा।

Intekhab Alam
(इन्तेखाब आलम) 15/04/22
अध्यक्ष नीलामी समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सुलतानपुर।